

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

सुलतानपुर।

पत्रांक: 2014/एसटीआर/50/नि0आ0 सी.एफ.ओ.

दिनांक: अक्टूबर 5, 2014

यू.आई.डी. नं0 2014/3854/एसटीआर/सुलतानपुर/5/डीडी

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

सुलतानपुर।

विषय:- गाटा सं0:596,597ग्राम-आनापुर,नरायनगंज एवं गाटा सं0:158 ग्राम-शेरपुर परसुरामपुर लम्मुआ सुलतानपुर, एन.एच.731वाराणसी-लखनऊ रोड पर भारत पेट्रोलियम का0लि0 द्वारा नये रिटेल आउट लेट की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्यत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0-664/एल.बी.सी. दिनांक:15-9-2014द्वारा उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण मानचित्र के अनुसार अग्निशमन अधिकारी श्री मदन सिंह से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 03-10-2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

भवन की संरचना :-

1. कुल भूखण्ड एरिया 1575 वर्ग मीटर।
2. कवर्ड एरिया 254 वर्ग मीटर।
3. कैनोपी की उंचाई-06 मीटर।

भवनका अभियोग एवं हैजार्ड श्रेणी - प्रश्नगत भवन का अभियोग एन0बी0सी0की जे- (बी-3)श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(औद्योगिक भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटेरियल का टाइप)

ढांचागत व्यवस्था:-

1. पहुँच मार्ग :- भूखण्ड के सामने मानचित्र में 80 मीटर रोड की चौड़ाई है।
2. प्रवेश की चौड़ाई 11.50 मीटर प्रस्तावित है।
3. निकास द्वार की चौड़ाई 11.50 मीटर प्रस्तावित है।
4. बाउण्ड्री वाल 1.20 मी0 उँची प्रस्तावित है।
5. 02 नरीन 08 आउटलेट प्रस्तावित है।

निर्देशित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ:-

निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ संचालक द्वारा पूर्ण की जाय-

1. प्रत्येक आउटलेट पर दो-दो अदद ए0बी0सी0 पाउडर टाइप एक्स0 क्षमता 09 कि0ग्रा0 आई0एस0आई0 मार्क स्थापित किया जाय।
2. आफिस में दो अदद सी0ओ0-02-एक्स0 क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 आई0एस0आई0 मार्क स्थापित किया जाय।
3. सेल्स/स्टोर रूम में 02 अदद डी0सी0पी0 एक्स0 क्षमता 09 कि0ग्रा0 आई0एस0आई0 मार्क स्थापित किया जाय।
4. जनरेटर/इलेक्ट्रिक रूम में 02 अदद डी0सी0पी0 एक्स0 क्षमता 09 कि0ग्रा0 स्थापित किया जाय।
5. फायर बकेट मय स्टैंड 08 अदद स्थापित किया जाय।

6. धूम्रपान निषेध बोर्ड उपयुक्त स्थानों में लगाया जाय।
7. आपातकालीन दूरभाष नम्बरों की सूची उपयुक्त स्थानों में लगायी जाय।
8. सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक फिटिंग आईएसओ 2148 के मानकों के अनुसार करना अनिवार्य है।
9. रिटेल आउट लेट पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के स्थापना हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्तिप्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है, कि संचालक द्वारा अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धित सभी प्रस्तावित प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायें तथा स्थापना के पश्चात संचालन से पूर्व अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(महवीर प्रसाद)

5-10-14
(महवीर प्रसाद)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

फैजाबाद।